न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– गुंजन सिंह आई.ए.एस.

प्र.सं. 70 / 2017

आरसीएमएस : 2017 / 00357

1. हरूराम पुत्र नरायणाराम जाति नायक निवासी 2 एलपीएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

बनाम —: प्रार्थी

1. शेराराम पुत्र जीवन राम जाति नायक निवासी 2 एलपीएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. अमरचन्द पुत्र लीलूराम जाति नायक निवासी 6 बीजीपी ए(ढाबा) तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. काशीराम पुत्र लेखाराम जाति नायक निवासी 2 एलपीएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
4. प्रदीप कुमार पुत्र देवी लाल जाति जाट निवासी वार्ड नं. 31 सेक्टर नं. 3 हनुमानगढ़
5. नायब तहसीलदार सा0 समेजा कोठी तह0 राय रायसिंहनगर

—: अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री रणजीत सोनी, वकील प्रार्थीगण
2. श्री विनीत त्यागी, वकील अप्रार्थी सं. 1
3. श्री जितेन्द्र सोनी, वकील अप्रार्थी सं. 3

—: निर्णय :–

दिनांक : 08.02.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी नं अप्रार्थी शेराराम से दिनांक 11.07.2016 के जरिये ईकरारनामा भूमि चक 2 एलपीएम का मु.नं. 22 प.नं. 269 / 356 का कि.नं. 13 में 0.115है., कि.नं. 17 में 10 बिस्वा व कि.नं. 14,15,16 सालम कुल 4 बीघा नहरी रकबा को छ लाख पच्चास हजार रू में नगद लिया जाकर इसके भुगतान की तिथि दिनांक 11.12.2016 तक वापिस करने की तहरीर की गई और यह अंकित किया गया कि उक्त दिनांक तक वापिस नहीं करने पर भूमि का बैयनामा प्रार्थी के पक्ष में कराने के लिए अप्रार्थी सं. 1 पाबन्द होगा। और जमीन का कब्जा मौका पर ही अप्रार्थी शेराराम ने प्रार्थी को दिया गया इस प्रकार प्रार्थी जरिये ईकरारनामा उक्त रकबा पर काबिज हैं वह प्रार्थी की फसल मौका पर खड़ी हैं। प्रार्थीगण दिनांक 11.02.2016 तक राशि की अदाएगी नही की है। यह भूमि प्रार्थी पाने का विधिक रूप से हकदार है। प्रार्थी का कब्जा के किसी प्रकार की कोई दख अन्दाजी अप्रार्थी शेराराम व उनके हितबद्ध व्यक्तियों किसी भी प्रकार से बेदखल करने के हकदार नहीं हैं। अप्रार्थी सं. 1 के मन में बेईमानी आ गई और उसने उक्त रकबा को अप्रार्थी सं. 2 को बिना मेरी राशी के भुगतान किये ही आगे बेचान कर दिया गया। उक्त रकबा का बेचान नामा पूर्व ... किया ... था इसलिए उक्त बैयनामा शून्य हैं। प्रार्थी का उक्त रकबा पर मौका पर ... अप्रार्थी सं. 1 से 4 द्वारा दिनांक 09.06.17 को एक राय होकर ईकरारनामा ... आ रकबा में नाजायज रूप से प्रवेश किया जाकर यह धमकी दी गई कि उक्त ... लिया गया है तो मैने बुर्द किया जाकर नष्ट किया जावेगी। और यह हमने ... को खुर्द प्रार्थी ने कहा कि उक्त रकबा का ईकरारनामा मेरे पास है ... मौका पर मैने ही फसल बिजान कर रखी हैं। गवाहान हमीराराम पुत्र ईशरराम एवं काशीराम पुत्र ईशरराम एवं अन्य आ जाने पर अप्रार्थीगण वहा से चले गये यानि गवाहानों ने बीच बचाव किया गया नहीं तो वह मौका पर कोई और कृत्य किया जाता और उनका मकसद उक्त जमीन पर कब्जा करने का था। अगर वह ऐसा करने में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी का वाद पत्र पेश किया गया का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। जिसकी क्षति का मूल्यांकन नहीं आका जा वेगा। प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:41:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

दुष्टया मामला प्रार्थी के हक में हैं। वह रकबा पर क्रेता की हैसियत से काबिज हैं। प्रार्थी उक्त रकबा पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का विधिक रूप से हकदार हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा कि प्रार्थी की कब्जा काश्त की जरिए ईकरारनामा भूमि से बेदखल करने तथा रिकार्ड में किसी प्रकार की तबदीली ना किया जावे पारित करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा तलबी नही करवाया जाने के कारण अप्रार्थी सं. 2–4 की हद तक दिनांक 30.04.2019 को अनुतोष खारिज किया गया। अप्रार्थी सं. 1–3 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। दिनांक 26.06.2019 को जवाब अप्रार्थीगण बंद किया गया। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। पत्रवली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ईकरारनामा दिनांक 11.07.2016 की प्रति प्रस्तुत की गयी है, जो कि एक पंजीबद्ध दस्तावेज नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत चित्रप्रति जमाबंदी अनुसार विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 1 के नाम से खातेदारी दर्ज हैं। प्रस्तुत चित्रप्रति बैयनामा शेराराम बहक अमरचन्द दिनांक 22.02.2017 अनुसार विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को जरिए पंजीबद्ध बैयनामा विक्रय की गयी हैं। उक्त बैयनामा उप पंजीयक समेजा से पंजीबद्ध हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं हैं। अप्रार्थी सं. 1 भूमि का रिकार्डेड टिनेंट हैं, यदि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं तो अप्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा। अतः प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होना एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे प्रमाणित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं।

–:: आदेश ::–

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत 212 राज0 काश्त0 अधि0 अस्वीकार किया जाता हैं।

निर्णय **मेरे द्वारा आज दिनांक 08.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय** में सुनाया गया।

(गुंजन सिंह)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:41:25 IST
Reason: SelfAttested